मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिटटन मार्केट, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल – 462016

फोन: 0755–2463585, 2430154, फैक्स:– 0755–4004137

ई मेल:– secretary@mperc.nic.in वैबसाईट:– www.mperc.in

क्रमांक मप्रविनिआ/संचा. (वि.प्र.)/2023/2113 भोपाल, दिनांक 14/09/2023

: सार्वजनिक सूचना :

म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 वर्ष 2003) की धारा 181(2)(जेड.डी) सहपठित धारा 45, एवं धारा 61, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध मे विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2021 आरजी–35(III), वर्ष 2021)" में द्वितीय संशोधन प्रस्तावित करता है। उक्त विनियम का प्रारूप आयोग की वेवसाईट पर उपलब्ध है।

वे व्यक्ति, जो उक्त विनियम के प्रारूप पर अपने सुझाव/आपत्तियां/टीप प्रस्तुत करना चाहें, लिखित में आयोग सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016 को दिनांक **06.10.2023** तक प्रेषित कर सकते हैं। सुझाव/आपत्तियॉं/टीप ई–मेल **secretary@mperc.nic.in** पर या फैक्स क्रं. 0755–4004137 पर भी प्रेषित किये जा सकते हैं। उपरोक्त विनियम के प्रारूप की प्रति किसी भी कार्यालयीन दिवस को, दिनांक **06.10.2023** तक प्रातः 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे के मध्य आयोग कार्यालय से रू. 15/–(प्रति सेट) के नगद भुगतान द्वारा अथवा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल को देय डिमांड ड्राफ्ट के भुगतान द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यह प्रति डाक द्वारा रु. 50/–(रू. 15/– प्रति सेट + रू. 35/–डाक व्यय हेतु) का भुगतान करने पर भी प्राप्त की जा सकती है।

आयोग द्वारा **दिनांक 10.10.2023 को प्रातः 11.00** बजे वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जन सुनवाई की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में अपने लिखित सुझाव/आपत्तियां/टीप प्रस्तुत किए हैं, वे अपने मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. की सूचना आयोग को देकर, उक्त जनसुनवाई में आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध गाईड लाईन्स के अनुसार भाग लेकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आयोग के आदेशानुसार,

सचिव